12-03-2021

पुकारा गया ।

पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित हैं ।

71-ग/2 प्रार्थनापत्र एवं 72-ग/2 आपत्तिपत्र पर सुना और पत्रावली का अवलोकन किया ।

71-ग/2 प्रार्थनापत्र प्रत्यर्थी जितेन्द्र कुमार की तरफ से सारतः इस आशय का दिया गया है कि अपीलार्थी द्वारा 46-क/1 प्रार्थनापत्र के माध्यम से प्रतिवादपत्र में प्रति-दावा (Counter-claim) समाहित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया । 46-क/1 प्रार्थनापत्र अपीलीय न्यायालय के आदेश दिनांकित 17-09-2018 द्वारा स्वीकार किया गया, जिसके विरूद्ध प्रत्यर्थी जितेन्द्र कुमार माननीय उच्च न्यायालय में Misc. Single No. 29104/2018 जितेन्द्र कुमार बनाम पंचम अपर जिला न्यायाधीश व अन्य प्रस्तुत किया और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 08-10-2018 के द्वारा अपीलीय न्यायालय के आदेश दिनांकित 17-09-2018 का क्रियान्वयन स्थगित कर दिया गया । अपीलार्थी द्वारा अपीलीय न्यायालय के आदेश दिनांकित 17-09-2018 द्वारा प्रतिवादपत्र में संशोधन कर दिया गया । याचना की गयी है कि प्रतिवादपत्र के उक्त संशोधित भाग को प्रतिवादपत्र से निरसित किये जाने हेतु अपीलार्थी को निर्देशित किया जाये ।

72-ग/2 आपत्तिपत्र प्रत्यर्थी की तरफ से प्रस्तुत करते हुए सारतः यह अभिकथित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा आदेश दिनांकित 17-09-2018 के अनुपालन में कृत संशोधन के काफी दिनों बाद रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गयी । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा केवल आदेश दिनांकित 17-09-2018 के अनुपालन पर रोक लगायी गयी है । रिट याचिका का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर नहीं किया गया है । प्रार्थनापत्र नेक-नीयती से नहीं दिया गया है और वाद लटकाने के नीयत से दिया गया है जो कानूनन विचार योग्य नहीं है । 71-ग/2 प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी ।

उभयपक्ष के तर्कों को सुनने एवं पत्रावली के अवलोकनोपरान्त इस न्यायालय के मत में अपीलार्थी द्वारा 46-क/1 प्रार्थनापत्र प्रतिवादपत्र में प्रति-दावा (Counter-claim) समाहित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया जो अपीलीय न्यायालय के आदेश दिनांकित 17-09-2018 द्वारा स्वीकार किया गया तथा अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश के अनुपालन में प्रतिवादपत्र में संशोधन किया गया और पत्रावली जवाबुल-जवाब (Replication) हेतु नियत की गयी । प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय न्यायालय के आदेश दिनांकित 17-09-2018 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में Misc. Single No. 29104/2018 जितेन्द्र कुमार बनाम पंचम अपर जिला न्यायाधीश व अन्य प्रस्तुत किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 08-10-2018 के द्वारा अपीलीय न्यायालय के आदेश दिनांकित 17-09-2018 का क्रियान्वयन स्थगित कर दिया गया । उपर्युक्तरूपेण यह स्पष्ट होता है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपीलीय न्यायालय के आदेश दिनांकित 17-09-2018 को अपास्त नहीं किया गया है बल्कि उक्तादेश का क्रियान्वयन स्थगित किया गया है । चूँकि अपीलार्थी द्वारा अपीलीय न्यायालय के आदेश दिनांकित 17-09-2018 के अनुपालन में प्रतिवादपत्र में संशोधन किया जा चुका है और आदेश दिनांकित 17-09-2018 अपास्त नहीं किया गया है, ऐसी दशा में अपीलार्थी को प्रतिवादपत्र के उक्त संशोधित भाग को निरसित किये जाने का आदेश दिया जाना समीचीन नहीं प्रतीत होता है । यह अवश्य है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 08-10-2018 के अनुपालन में अपीलीय न्यायालय के आदेश दिनांकित 17-09-

2018 का क्रियान्वयन, Misc. Single No. 29104/2018 जितेन्द्र कुमार बनाम पंचम अपर जिला न्यायाधीश व अन्य के निस्तारण तक, स्थगित रहेगा, तद्नुसार प्रतिवादपत्र में कृत संशोधित भाग पढ़ा नहीं जायेगा । तद्नुसार 71-ग/2 प्रार्थनापत्र निस्तारित किया जाता है ।

पत्रावली दिनांक 19-03-2021 को वास्ते सुनवाई पेश हो ।

अपर जिला न्यायाधीश,कक्ष सं० 10,
फैजाबाद ।